रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 01] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 1, 2018/पौष 11, 1939
No. 01] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 1, 2018/PAUSHA 11, 1939

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2017

का.आ. 01(अ).— जबकि, एक अधिकरण न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्ति) मूलचंद गर्ग की अध्यक्षता में दिनांक 05 जून, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित दिनांक 01 जून, 2017 की अधिसूचना का.आ. 1778(अ) द्वारा वास्तुविद अधिनियम, 1972 (1972 की 20) की धारा 5 की उपधारा (2) के तहत गठित किया गया था कि वह वास्तुविद अधिनियम, 1972 की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (क) के तहत वास्तुकार सोलोमोन डी. वेदामुथु और वास्तुकार बलबीर वर्मा और अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (ग) के तहत प्रो. रामाराजु द्वारा चुनावों के संबंध में उठाए गए विवादों पर न्यायनिर्णय करे।

2. और जबकि, अधिकरण को आदेश की अधिसूचना की तारीख से तीन माह की अवधि के अंदर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी और तीन माह की उक्त अवधि दिनांक 4 सितंबर, 2017 को समाप्त हो गई है।

3. और जबकि, अधिकरण के अध्यक्ष ने केन्द्र सरकार से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अधिकरण को पर्याप्त समय देने का अनुरोध किया था और सक्षम प्राधीकारी के अनुमोदन से अधिकरण को दिनांक 30 अक्तूबर 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, धारा-3, उपधारा (ii) में प्रकाशित दिनांक 27 अक्तूबर 2017 की अधिसूचना का.आ. 3455 (अ) द्वारा तीन माह का विस्तरण दिया गया था और उक्त विस्तरण दिनांक 04 दिसंबर 2017 को समाप्त भी हो गया है।

4. और जबकि, अधिकरण के अध्यक्ष ने केन्द्र सरकार से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तीन माह का और समय देने का अनुरोध किया था।

5. अब, इसलिए, वास्तुकार अधिनियम, 1972 (1972 का 20) की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा उक्त अधिसूचना को संशोधित करती है, नामत:

उक्त अधिसूचना में, शब्द 'छह माह' को शब्द 'नौ माह' से प्रथिस्थापित किया जाए।

[फा.सं.4-28/2015-टीएस.VI]

आर. सुब्रह्मण्यम, विशेष सचिव

टिप्पणी:— मुख्य अधिसूचना दिनांक 1 जून 2017 की सा. आ. 1778 (ई) द्वारा प्रकाशित की थी और अंतिम रूप से दिनांक 27 अक्तूबर 2017 के सा.आ. 3455 (ई) द्वारा संशोधित की गई।

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2017

S.O. 01(E).— Whereas, a Tribunal was constituted under sub-section (2) of Section 5 of the Architects Act, 1972(20 of 1972) vide notification S.O. 1778(E), dated the 1st June, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated the 5th June, 2017 under the Chairmanship of Justice (Retd.) Mool Chand Garg to adjudicate upon the elections disputes raised by Ar. Solomon D. Vedamuthu and Ar. Balbir Verma in respect of elections under clause (a) of sub-section (3) of section 3 and Prof. Ramaraju in respect of elections under clause (c) of sub-section (3) of section 3, of the Architects Act, 1972;

2. And whereas, the Tribunal was required to submit its report within a period of three months from the date of the notification of the order and the said period of three months has expired on 4th September, 2017;

3. And whereas, the Chairman of the Tribunal had requested the Central Government to give adequate time to the Tribunal for submission of its report and with the approval of competent authority, an extension of three months was given to the Tribunal *vide* notification S.O. 3455(E), dated the 27th October, 2017 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) dated the 30th October, 2017 and the said extension has also expired on 04th December, 2017;

4. And whereas, the Chairman of the Tribunal had requested the Central Government to give more time to the Tribunal for submission of its report;

5. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 5 of the Architects Act, 1972(20 of 1972), the Central Government hereby amend the said notification, namely :-

In the said notification, for the words "six months", the words "nine months" shall be substituted.

[F. No. 4-28/2015-TS.VI]

R. SUBRAHMANYAM, Spl. Secy.

Note:— The principal notification was published vide number S.O.1778(E), dated the 1st June, 2017 and last amended vide number S.O.3455(E), dated the 27th October, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.01.02 12:20:10 +05'30'